

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बड़जलास - चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या-74/2022

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामवतार पूनियां,
प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद
कार्यालय, नागौर

बनाम

अप्रार्थी
शैतानसिंह राजपूरोहित पुत्र विशनसिंह
निवासी सरवडी ग्राम पंचायत कल्याणपुर
तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
(प्रोपराईटर मैसर्स भवानी जोधपुर मिष्ठान
भण्डार रियांबडी)

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री रामवतार पूनियां

निर्णय

दिनांक -10.02.2025


प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा।

1. प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 17.12.2022 को श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरुपयोग की रोकथाम बाबत मैसर्स भवानी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, रियांबडी पर आकस्मिक जांच की गई वक्त जांच मौके पर श्री शैतानसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री विशनसिंह निवासी सरवडी ग्राम पंचायत कल्याणपुर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर उपस्थित मिला। जिन्होंने अपने आप को फर्म का प्रोपराईटर बताया। मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से जुड़ा हुआ पाया गया व 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पास में पाये गये। श्री शैतानसिंह से घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं दुरुपयोग से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास गैस के भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर उपस्थित श्री शैतानसिंह द्वारा किसी आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर घरेलू गैस के 3 सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। 1(1) जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है।

सं.	नाम कम्पनी	गैस	एस.आर. नं.	गैस वजन
1	आईओसीएल		171815	14.2 किग्रा
2	आईओसीएल		7453281	2.5 किग्रा
3	आईओसीएल		63061	9 किग्रा

उपरोक्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स गौड एचपी गैस एजेन्सी रियांबडी के प्रतिनिधि श्री दिवाकर नट की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस प्रकार श्री शैतानसिंह राजपुरोहित का यह कृत्य लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाइ एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,- 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।


अपर कलक्टर, नागौर

2. प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। श्री रामजीवन बेनीवाल द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस मौके पर पाये गये। मौके पर अप्रार्थी श्री शैतानसिंह राजपुरोहित से पूछताछ करने पर उसके पास गैस भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाइ एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, - 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लंघन है जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा इस निर्णय के पैरा संख्या 1(1) में वर्णित 3 गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त 03 गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण किया जावे तथा गैस सिलेण्डर में पायी गयी गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते हैं। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।
3. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/25
(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर